राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/ 51571 दिनांक – 23/08/2019

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 26.08.2019 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 – **182**

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न हैं।

भवदीय,

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)
VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम :– परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 182
दिनांक :– 26-08-2019
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री महेन्द्र गोयल

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा दिनांक 20/06/2019 को रूट नं0 879 के पुनर्गठन के लिये सर्वे किया गया था;	जी हाँ, यह सत्य है।
ख.	यदि हाँ, तो वर्तमान समय में रूट के पुनर्गठन पर क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण जानकारी दी जाये;	रुट संख्या 879, 985 व जी.एल.–90 के वाया में मानव चौक(बी–4 रोड) से ई–2 (बी–3 रोड़) के मध्य दिनांक 01.07.2019 से दोनो दिशाओं में वाया बदलाव किया गया था, अब इन रुटों की बसें डी–2 रोहिणी सेक्टर–15 की जगह सीधे बी–4 रोड़, बी–7 रोड (रोहिणी सेक्टर–18), बी–3 रोड़ होकर परिचालन में हैं। जिसके संदर्भ में माननीय विधायक महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था।
ग.	क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा विधायक फण्ड से रिठाला विधान सभा में चार बस क्यू शेल्टर लगाये जा रहे है ;	जी हाँ।
घ.	यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, पूर्ण जानकारी दें;	कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
ड.	क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा रिठाला विधान सभा में 40 बस क्यू शेल्टर लगाने की योजना विचाराधीन है; और	जी हाँ।
च.	यदि हाँ, तो इसमें रूकावट के क्या कारण हैं व कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?	दिल्ली सरकार द्वारा 1397 नए बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य PWD को सौंपा गया है। PWD द्वारा टेंडर प्रक्रिया का काम चालू है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही PWD द्वारा इनको बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा जिसमें पुराने खराब हालत के बस क्यू शैल्टर्स के स्थान पर नए बस क्यू शैल्टर्स बनाने का भी प्रावधान है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(ए. के. शर्मा)
उपायुक्त (सचि.), (परिवहन विभाग)

(A.K. Sharma)
Dy. Commissioner (Tpt)
Govt. of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054